

## खेल समाचार

गांगुली आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच बने

नई दिल्ली। दिल्ली कोषितल से मंगलवार को आईपीएल 2027 सीजन के लिए भारत के पूर्व कप्तान सोरव गांगुली को हेड कोच नियुक्त करने की घोषणा की। 2019 से कोषितल के इकाईसिस्टम को कई भूमिकाओं में अक्रांड के बाद, गांगुली अब प्रकाशजी के हेड कोच के तौर पर एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। दिल्ली कोषितल के साथ गांगुली का जुड़ाव 2019 में शुरू हुआ था, जब वह एक सलाहकार के तौर पर पंजाब कोषितल से जुड़े थे। इन सालों में, उन्होंने कई लीडरशिप भूमिकाएं निभाई हैं, जिनमें पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए क्रिकेट डायरेक्टर का पद भी शामिल है।

घरेलू सत्र से पहले  
आशुतोष शर्मा ने  
बदली टीम  
नई दिल्ली। आईपीएल में

दिल्ली कैपिटल्स के फनिशर आशुतोष शर्मा 2026-27 परेसु सत्र से पहले रेलवे छोडकर गुजरात की टीएम से जुड गए हैं। सेभाना है आशुतोष, गुजरात के लिए सीमित आवेग का क्रिकेट में भी हिस्सा लेंगे। आशुतोष उन्तीन परेषव खिलाडियों में शामिल हैं जिन्हें गुजरात ने अपने साथ जोडा है। अन्य दो खिलाडी राजस्थान के तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ड्रजो फिनिशर बनेंगे हैं और और दो प्लेयर हल चित्राई हैं। मध्य प्रदेश से आने वाले आशुतोष ने अपने लिए ए और टी 20 करियर की शुरुआत राज्य टीम से की थी। वह पहले भी अपने गृह राज्य में पर्याप्त मौके नहीं मिलने की वजह से टीम बदलने की जरूरत पर बाव कर चुके हैं।

**केपीपीएल की  
शुरुआत 9 अक्टूबर  
को बेंगलुरु में होगी**  
बेंगलुरु। कर्नाटक को अपनी

पहली प्रेक्षाइजी-आधारित पिकलबॉल लीग मिलने जा रही है। कर्नाटक पिकलबॉल प्रीमियर लीग (केपीपीएल) का आगाज 9 अक्टूबर को होगा। इस तीन दिन के टूर्नामेंट में सात टीमें और 56 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसका मकसद राज्य में तेजी से लोकप्रिय हो रहे इस खेल को एक प्रोफेशनल स्तर देना है। केपीपीएल का पहला सीजन 9 से 11 अक्टूबर तक बेंगलुरु के जीकेव।।के में खेला जाएगा। इसमें हिस्सा लेने वाली सात प्रेक्षाइजी में 'कूर्ग ओरिजिनल्स' भी शामिल है।

टाटा स्टील के चैरो  
तीरंदाजों की वापसी  
मुंबई। टाटा स्टील के

स्वामित्व वाली झारखंड स्थित फ्रेंचाइजी चरो आर्चर, हैदराबाद में 8 से 18 अक्टूबर, 2026 तक होने वाले तीरंदाजी प्रीमियर लीग (एपीएल) के दूसरे सीजन के लिए वापसी करेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने और उद्घाटन सत्र में चौथे स्थान पर रहने के बाद, चरो आर्चर ने अंतर्राष्ट्रीय सितारों और भारत के कुछ प्रमुख तीरंदाजों के मिश्रण के साथ सीजन 2 के लिए अपनी लाइन-अप को मजबूत किया है।

## नई दिल्ली, वार्ता

हरमनप्रीत कौर ने भारत की महिला टीम की तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों की कप्तानी छोड़ दी है। पिछले साल भारत को महिला वनडे विश्व कप का पहला वैश्विक खिताब दिलाने वाली हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए फैसले की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि टीम को एक अच्छी स्थिति में छोड़ने के बाद अब वह धीरे से खेल के प्यार के लिए खेलने को तैयार हैं। 37 वर्षीय हममनप्रीत ने भारत के लिए पांच टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी-20 में कप्तानी की। कप्तान के रूप में उनका आखिरी काम पिछले दूसरे निशिन में भारत को लगातार दूसरा एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक दिलाना रहा। हममनप्रीत के कप्तान रहते स्मृति मंधाना टीम की उपकप्तान थीं और वह कप्तानी की सबसे प्रबल दावेदार हैं। यह फैसला उस बैठक

एक दिन बाद आया, जिसमें हमनगीरपट्टी, भारती की उपकाना स्मृति मंधाना और मुख्य कोच अमोल मजुमदार ने गुवाहाटी में बीसीसीआई सजिव देवजी सैकिया से मुलाकात कर महिला टोम के भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की थी। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में हमनगीरपट्टी ने लिखा, यह फैसला आसान नहीं है। इसके साथ वर्षों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे अनगिनत पल जुड़े हैं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मैं इस टोम और भारतीय महिला क्रिकेट को अपना सब कुछ दिया है, अपना खून, पसीना, समय और कड़ा बुरा अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं का भी एक हिस्सा। कई मौकों पर मुझे अपने प्रदर्शन, अपने विकास और अपनी उपलब्धता इच्छाओं को पीछे रखना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए टोम हमेशा सबसे पहले रहे। उन्होंने अपने लिखा कि कप्तान के तौर पर मुझे कई कठिन फैसले लेने पड़े।



■ कहा: टीम को एक अच्छी स्थिति में छोड़ने के बाद अब वह फिर से खेल के प्यार के लिए खेलने को तैयार हैं, भारत के लिए पांच टेस्ट, 51 वनडे और 155 टी-20 में कप्तानी की

ऐसे फैसले जिन्हें हर किसी ने नहीं समझा, जो कभी आसान नहीं थे और जिनकी व्यक्तिगत कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन हर बार मेरा मकसद सिर्फ एक था - टीम को

बेहतर बनाना और दूसरे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने, खुद पर भरोसा करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका देना। मैंने इस सफर में सब कुछ देखा है।

मुश्किल दौर, दिल तोड़ देने वाली  
हार, आलोचनाएं, सवाल और वे  
दिन भी जब कुछ भी हमारे पक्ष में  
नहीं था। लेकिन मैंने ऐसे पल भी  
जिए हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया

जा सकता - जीत को खुशी, ज़रन को लम्हे, देश को प्रतिनिधित्व करने का कार्य और यहाँ बिन्दाने हर त्याग को मायने दिए।" उन्होंने कहा, "आज मैं भादुक मन से कप्तानी छोड़ रही हूँ, लेकिन भीतर एक संतोषी रही है। क्योंकि मुझे यक़ीन है कि यह टीम मजबूत हाथों में है। इस टीम में प्रतिभा है। आत्मविश्वास है, चरित्र है और एक शानदार भविष्य है, जिससे देखने और उसका हिस्सा बनने रहने को लेकर मैं बेहद उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज निभाया है। मैंने इस टीम को निज्जाम सन्देश दिया, इसमें जम्मींदारी को पूरी ईमानदारी और गहले के साथ निभाया और कप्तानी महिला क्रिकेट को भारतीयों के आसुर मिलने के लिए मैं हमेशा का आभार रद्दगी। अब मैं होशवा का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कप्तानी भले ही ख़त्म

हो रही हों, लेकिन भारतीय क्रिकेट को लिए मेरा प्यार कभी कम्युन नहीं होगा। मैं अपनी सभी साथी खिलाड़ियों, कोचों, सपोर्ट स्टाफ, प्रबंधन, बीसीसीआई, अपने परिवार और उन सभी प्रशंसकों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हर अच्छे-बुरे दौर में मेरा साथ दिया। खुन, पसीना, लगान, यश, मैं अपना सब कुछ डोना दिया। अब मैं फिर से सिर्फ खेल के प्यार के लिए खेलने को तैयार हूँ। कप्तानी का सफर भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन मेरी पहली अभी जारी है। हरमनप्रोत ने पट्टा भार 2012 में भारत की टी20 टीम की कप्तानी की थी, लेकिन 2016 में घरेलू टी20 विश्व कप में भारत के युप चरण से बाहर होने के बाद ही उन्हें इस भूमिका के लिए गंभीर दावेदार के रूप में देखा जाने लगा।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99  
**भारत का राजपत्र**  
 सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082026-275633  
 असाधारण  
 भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)  
 प्राधिकार से प्रकाशित  
 [चं. 4419] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2026/भाग 29, 1948

**रेल मंत्रालय**  
(उत्तर प्रदेश) (निर्माण संगठन)  
**अधिष्ठापना**  
**दिल्ली, 18 अगस्त, 2026**

**का.आ. 4599(अ)**—केन्द्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम-2008 की धारा 2 के खंड (37-क) द्वारा प्रस्तुत शर्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के राजपत्र में प्रवेशन की ताखी से **"मुजजमपुर नारायण बाई-पार पर Y-कनेक्शन की निर्माण योजना (3.10 किमी.)"** में लोक प्रयोग के लिए राष्ट्रीय अवसरचना उपबन्धि कराने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के **विजोनौर** जगपद में **8.80 हेक्टेयर** भूमि अधिग्रहण हेतु **"विशेष रेल परियोजना"** के रूप में अधिष्ठापित करार है।

सी.जी.-डी.एल.-अ.01102026-276667  
असाधारण  
भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित

**अविशुद्धता**

**नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026**

का.आ. 5320 (अ)-लेख अविशुद्धता-1989 (2008 में संशोधित) की धारा 2 के उपखंड (7-सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा (र-सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधिनियम के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होने वाली तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अविशुद्धी को प्राप्रितक करती है कि वह तालिका के कॉलम (5) में वर्णित लेख प्रविष्टियों के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं प्रविष्टिकरण हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य के "सामान प्रविष्टि" के रूप में कार्य निष्पादित करे।

| तालिका  |                                      |        |              |                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमांक | सक्षम प्राधिकारी                     | जनपद   | राज्य        | रेलवे परियोजना का नाम                                                                                                                      |
|         | 2                                    | 3      | 4            | 5                                                                                                                                          |
| 1.      | विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बिजनौर | बिजनौर | उत्तर प्रदेश | मुअज्जमपुर नारायण बाई-यास पर Y कनेक्शन की निर्माण योजना (3.10 किमी.) उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जनपद में 8.80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण। |

सी.जी.-सी.एल.-अ.-01102026-276702  
असाधारण  
भाग II – खण्ड 3 – उप-खण्ड (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
[पृष्ठ 52181 नई दिल्ली बहुरूपितार अक्टूबर 1 2026/आश्विन 9 1948]

**अविशुद्धता**

**नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2026**

का.आ. 5427(3)-एलबे अधिनियम-1989 (2008 में संशोधन) की धारा 20-ए के उपखण्ड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एलबे धारा 20(3) के अधीन राज्य में अविशुद्धता के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होने तक तालिका के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारी का प्रासंगिक करही है कि वह तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक पंजीयन के कार्य निष्पादन अनुपालन, प्रबंधन एवं परिचालन हेतु कॉलम (3) में वर्णित जनपद एवं कॉलम (4) में वर्णित राज्य में **“अविशुद्ध”** के रूप में कार्य निष्पादित करे।

| तालिका  |                    |        |                 |                                                                                                                                              |
|---------|--------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रमांक | आईटीटर             | जनपद   | राज्य           | रेलवे परियोजना का नाम                                                                                                                        |
| 1       | 2                  | 3      | 4               | 5                                                                                                                                            |
| 1.      | कलेक्टर,<br>बिजनौर | बिजनौर | उत्तर<br>प्रदेश | "मुअज्जमपुर नारायण बाई-पास पर Y-कनेक्शन की निर्माण योजना (3.10 किमी.)" उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जनपद में 8.80 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण। |

3465/2026 [फा. स. 190-डब्ल्यू/लेड/ एमबी/एमजेडएम बाई पास]  
श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-II

**पंजाब नैशनल बैंक** **punjab national bank**  
.....भरोसे का प्रतीक .....the name you can BANK upon!  
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

एआरएमबी: पश्चिम दिल्ली, दूसरी मंजिल, विक्रांत टावर,  
राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008  
ईमेल— [cs8334@pnb.bank.in](mailto:cs8334@pnb.bank.in)

## अचल सम्पत्तियों की ई-नीलाामी हेतु बिक्री सूचना

**प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के नियम ४(६)** के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिविक्रयण और पुनर्विगट तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अनुश्रियम्, २००२ के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय मोडरस, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटरों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रमारित है। का सांकेतिक / वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुरोध), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। जो "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर जारी किया जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(ओं), गारंटर(ओं), आस्थित मुक्त धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

|  |                                                       |
|--|-------------------------------------------------------|
|  | <b>एनामान्ड एस्टिमसमियायें की विलोकी ती असस्तीयें</b> |
|--|-------------------------------------------------------|

| क्र. सं. | शाखा का नाम<br>खाते का नाम<br>कर्जदार/गारंटर खाते का नाम एवं पता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | क) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग चुकाना की तिथि<br>ख) दिनांक के अनुसार बकाया राशि<br>ग) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कच्चा की तिथि<br>घ) कच्चा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक                                                    | अचल बंधक सम्पत्तियों का विवरण<br>/ स्वामित्व का नाम (बंधक सम्पत्तियों)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आरक्षित मूल्य<br>ईएमडी<br>बोली वृद्धि राशि                                                                                                                                                        | नीलामी की तिथि एवं समय                                            | सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एकत्रित का विवरण |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                             |
| 1.       | <p>एआरएमबी परिवर्ती दिल्ली</p> <p>मैसर्स वी बिज आईटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक/अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से) भवन संख्या 1157 / 1124, कूडा महाजनी, धादनी चौक, दिल्ली</p> <p>इसके अलावा: दुकान संख्या 408, ए-352, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087 इसके अलावा: 17, मेरा एक्सेल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087 इसके अलावा: सी-161, पुंडरीक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088</p> <p>मैसर्स शिवा इंफ्रामार्ट (अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से) 337, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087</p> <p>मैसर्स जैन एंड अग्रवाल एसोसिएट्स (अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से) 337, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087</p> <p>श्री अमिषेक अग्रवाल पुत्र श्री राकेश अग्रवाल जेड-71, मानसरोवर कॉलोनी, मुरादाबाद</p> <p>श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री बृज भूषण खल ए-352, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087</p> <p>श्रीमती माला कुमार पत्नी श्री सुधीर कुमार ए-352, आउटर रिंग रोड, मीरा बाग, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087</p> <p>श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल 17, दूसरी मंजिल, मेरा एक्सेल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087</p> <p>श्रीमती सोनू अग्रवाल पुत्र श्री पंकज अग्रवाल 17, दूसरी मंजिल, मेरा एक्सेल, पश्चिम विहार, नई दिल्ली - 110087</p> <p>मैसर्स संजीव कुमार एचयूएफ, कर्ता श्री संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय राम प्रकाश के माध्यम से के. एम. स्टोन, नगीना रोड, धामपुर, उत्तर प्रदेश</p> <p>श्री कुशाग्र जितल पुत्र विपिन जितल सी-161, पुंडरीक विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110088</p> <p>श्री संजीव कुमार पुत्र स्वर्गीय राम प्रकाश के. एम. स्टोन, नगीना रोड, धामपुर, उत्तर प्रदेश</p> | <p>क) 30.03.2013</p> <p>ख) रु. 34,38,02,291/-</p> <p>ग) 10.06.2013</p> <p>घ) भौतिक</p> <p>क) 30.03.2013</p> <p>ख) रु. 34,38,02,291/-</p> <p>ग) 10.06.2013</p> <p>घ) भौतिक</p> <p>क) 30.03.2013</p> <p>ख) रु. 34,38,02,291/-</p> <p>ग) 10.06.2013</p> <p>घ) सांकेतिक</p> | <p>1. दुकान संख्या 1 से 9, द्वितीय तल, मधुबनी योजना, मधुबनी वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, कांठ रोड, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल 508.15 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स जैन एंड अग्रवाल एसोसिएट्स के नाम पर है।</p> <p>2. दुकान संख्या 12, द्वितीय तल, मधुबनी योजना, मधुबनी वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, कांठ रोड, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल 97.89 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स जैन एंड अग्रवाल एसोसिएट्स के नाम पर है।</p> <p>3. दुकान संख्या 10, 11, 13 से 17, द्वितीय तल, मधुबनी योजना, मधुबनी वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, कांठ रोड, मुरादाबाद, जिसका क्षेत्रफल 585.81 वर्ग मीटर है, जो मैसर्स जैन एंड अग्रवाल एसोसिएट्स के नाम पर है।</p> | <p>रु. 3.27 करोड़</p> <p>रु. 32,70,000/-</p> <p>रु. 2.00 लाख</p> <p>रु. 0.73 करोड़</p> <p>रु. 7,30,000/-</p> <p>रु. 0.50 लाख</p> <p>रु. 3.76 करोड़</p> <p>रु. 37,60,000/-</p> <p>रु. 2.00 लाख</p> | <p>27.10.2026</p> <p>बजे 11:00</p> <p>बजे से अर्पाई 04.00 बजे</p> | <p>ज्ञात नहीं</p>                           |

[illegible]

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

प्रकाशन की तिथि : 07.10.2026

स्थान: दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक